"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 8] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 20 फरवरी 2009—फाल्गुन 1, शक 1930

भाग 2

निरंक

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.

(1)	(2)
166/3	0.081
167, 168	0.053
169/1	0.012
931/1	0.049
931/2	0.049
931/3	0.053
933	0.049
937	0.032
938/1, 940/1	0.122
938/2	0.122
938/2 ख, 940/2 ख	0.081
938/3	0.040
1027	0.012
1028	0.040
1029	0.045
1039	0.077
1067	0.206
1070/1	0.004
1070/3	0.012
1070/4	0.012
1070/5	0.016
1070/6	0.012
1071	0.089
1074	0.024
1082	0.098
1086	0.045
1087	0.109
1095	0.057
1096	0.113
1098/1	0.004
1100	0.032
1100	0.028
1101	0.081
1104/2	0.081
1105	0.065
1108/1	0.061
1151/2	0.024
1156	0.053
1159	0.024
1161	0.008
1167, 1168	0.024
1169	0.004
1170	0.008
1174	0.008
1175	0.162
1185	0.122
1186	0.049
1187	0.020
1188	0.080
1189	0.004
1190	0.012
1205	0.085
1206	0.012
1207	0.004
1208	0.040
1209	0.024
1210	0.020
1211	0.024
1212	0.146
1217/1, 1299/1, 1301/2	0.081
1218/1	0.032
1218/2	0.008
1225/1	0.068
1273, 1274, 1275	0.122
1282/1	0.049
1282/3	0.004
1282/4	0.049
1283/2 क	0.081
1283/2 ख	0.040
1288	0.004
1291	0.053
1293	0.008
1294	0.040
1295/2	0.194
1295/1, 1296/1	0.024
1295/3, 1296/2	0.073
योग	4.025

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-चैतमा व्यपवर्तन के नहर निर्माण हेतु."

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.